## HARYANA SHERI VIKAS PRADHIKARAN PUBLIC NOTICE

Advt.No. 02/2025/Oustees

Dated 11.02.2025

### Please read this advertisement in place of earlier advertisement dated 23.01.2025

As per the decision of the full Bench of Hon'ble High Court of Punjab and Haryana in CWP No.22252 of 2016 titled as of Rajiv Manchanda Vs. state Haryana and others, reservation police dated 04.12.2015 upheld by the Hon'ble High Court in CWP No.22252 of 2016 titled as Rajiv Manchanda Vs. state of Haryana and others and affidavit filed by the Chief Administrator , HSVP , Panchkula in the Hon'ble High Court in CWP No.22136 of 2015 titled as Adesh Aggarwal & CWP No. 14164 of 2017 Dalip Singh Vs. State of Haryana , Haryana Sheri Vikas Pradhikaran hereby invites applications from landowners ( oustees ) whose land was acquired for the development of sectors post 10.09 .1987 in All Sectors of Urban Estate Bhiwani 13, 23 , Dadri Sec 8,9 .

In view of the mandate of the Hon'ble High Court in Rajiv Manchanda's case (supra), a detailed exercise was carried out in all the sectors with respect to the plots available to be offered to oustees in terms of the reservation policy dated 04.12.2015, which had been upheld by the Hon'ble Court in Rajiv Manchanda 's case (supra). The entire details as regards the availability of plots in respective sectors and the plots reserved for the oustees (subject to their availability in sectors) in terms of policy dated 04.12.2015 was also placed before the Hon'ble Court in the affidavit filed in CWP No. 22136 of 2015 titled as Adesh Aggerwal & CWP No. 14164 of 2017 Dalip Singh Vs. State of Haryana. In view thereof the last and final advertisement for settling the claims of oustees is being issued in respect of the plots available in respective sectors in terms of policy dated 14.12.2015, 11.08.2016 and 08.05.2018. No further advertisement shall be issued.

The oustees are requested to apply along with application money Rs. 50,000/- . The claims of oustees shall be decided in terms of policy dated 04.12.2015, 11.08.2016 and 08.05.2018 and thus, the oustees shall duty read the terms and conditions therein before applying against the advertisement.

For detailed terms and conditions, terms of payment, policy guidelines and Sector wise s category wish details of the pots are available on the HSVP website I.e. (www.hsvphry.org.in).

The scheme will start w.e.f.31.01.2025 and close on 30.03.2025 at 5:00PM

Sd/-Estate Officer, HSVP, Bhiwani Sd/Administrator,
HSVP, Hisar

Scanned with CamScanner

### HARYANA SHERI VIKAS PRADHIKARAN **PUBLIC NOTICE**

दिनांक 11.02.2025 विज्ञापन संख्या 02/2025 कृप्या विज्ञापन दिनांक 18.01.2025 के स्थान पर इस विज्ञापन को पढा जाए

CWP No. 22252 of 2016 में राजीव मनचदां बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक से माननीय पजांब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार , CWP No. 22252of 2016 में राजीव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक से माननीय उच्च न्यायालय द्रारा 04.12.2015 की आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया और CWP No. 22136 of 2015 में मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी, पचंकुला द्रारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर हल्फनामे को आदेश अग्रवाल और CWP No. 14164 of 2017 में दलीप सिहं बनाम के रूप में शीर्षक से बरकरार रखा गया। हरियाणा राज्य, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उन भूस्वामियों (विस्थापितों) से आवेदन आमत्रिंत करता है जिसकी भूमि शहरी सम्पदा भिवानी के सैक्टरो, सैक्टर 13,23 व शहरी सम्पदा दादरी के सभी सैक्टर 8 व 9 में 10.09.1987 के बाद सेक्टरों के विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी।

राजीव मनचंदा केस (सुप्रा) में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मदेनजर दिनांक 04.12.2015 की आरक्षण नीति के अनुसार विस्थापितों को दिये जाने वाले भूखंडो के संबन्ध में सभी सेक्टरो में विस्तृत जांच की गई, जिसे राजीव मनचंदा केस (सुप्रा ) में माननीय न्यायालय ने बरकरार रखा था। दिनांक 04.12.2015 की नीति के अनुसार संबन्धित सेक्टरो में भूखड़ो ( सेक्टरो में उनकी उपलब्धता के अधीन )के सबंन्ध में सपूर्ण विवरण भी CWP No. 222136 of 2015 में आदेश अग्रवाल और CWP No. 14164 of 2017 में दलीप सिहं बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से दायर हल्फनामे में माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया था। इसके मदेनजर दिनांक 14.12.2015 11.08.2016 और 08.05.2018 की नीति के अनुसार सबंन्धित सैक्टरो में उपलब्ध भूखडो के सबन्ध में विस्थापितों के दावों के निपटान के लिए अतिंग विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसके बाद कोई और विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

विस्थापितों से अनुरोध है कि वे 50000.00 रू० की आवेदन राशि के साथ आवेदन करें। विस्थापितों के दावों का निर्णय दिनांक 04.12.2015, 11.08.2016 और 08.05.2018 की नीति के अनुसार किया जाएगा और इसलिए विस्थापितों को विज्ञापन के तहत आवेदन करने से पहले उसमे दिए गए नियमो और शर्तो को अच्छी तहत से पढना चाहिए।

विस्तृत नियम व शर्तो , भुगतान की शर्ते , नीतिगत दिशानिर्देश और भूखंडो का क्षेत्रवार व श्रेणीवार विवरण एचएसवीपी वेबसाईट (www.hsvphry.org.in)पर उपलब्ध है।

यह योजना 20.01.2025 से शुरू होगी और 22.03.2025 को शाम 5:00 बजे बंद होगी।

सम्पदा अधिकारी एचएसवीपी, भिवानी।

1. 77.7.

प्रशासक

एचएसवीपी, हिसार।

Scanned with CamScanner

# हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

## सार्वजनिक सूचना

उन भू-स्वामियों जिनकी भूमि एच.एस.वी.पी. हिसार जोन के अधीन आने वाले शहरी सम्पदा के भिवानी के सभी रिहायशी सैक्टरों, सैक्टर 13, 23 भिवानी व सेक्टर-8, 9 दादरी के सभी रिहायशी सैक्टरों के विकास हेतु दिनांक 10-09-1987 के बाद अधिग्रहण की गई थी, से निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

विस्थापितों से निवेदन है कि सम्बन्धित सैक्टर हेतू रुपये 50,000/-की धरोहर राशि सहित आवेदन करें। विस्थापितों के दावों का निर्णय पॉलिसी दिनांक 04.12.2015, 11.08.2016 एवं 08.05.2018 के अनुसार किया जायेगा।

विस्तृत नियम एवं शर्तों, भुगतान के नियम, पॉलिसी दिशा-निर्देश तथा सैक्टर अनुसार एंव वर्गानुसार प्लॉटों का विवरण एच.एस.वी.पी. की वेबसाइट www.hsvphry.org.in पर उपलब्ध है।

स्कीम का प्रारम्भ 31.01.2025 को होगा एवं 30.03.2025 को सांय 5.00 बजे से बंद होगा।

किसी अन्य विवरण हेतु कार्यालय सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भिवानी सें सम्पर्क किया जा सकता है। (01664-245857)

नोट:-

इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन भूमि मालिकों ने पहले हशिवप्रा द्वारा जारी विज्ञापन में विस्थापित श्रेणी के तहत भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन किया था, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। हस्ता/-

सम्पदा अधिकारी हशविप्रा, भिवानी।

हस्ता/-प्रशासक, हशविप्रा, हशविप्रा, हिसार।

SAMVAD:- 1083/11/185/2025/31934/C/1/6 Dt. 22/01/2025

Scanned with CamScanner

56

61 62

65 66

79 80

> 82 83

84 85 86

87 88

89

PRE

From

Estate Officer, HSVP, Bhiwani.

To

The Director General, Information, Public Relations & Language Department, Government of Haryana, Chandigarh.

Memo No.: 2/659

Dated: 2101-2025 -

Subject:- Regarding inviting of applications for allotment of residential plots under oustees category of various sector under jurisdiction of Estate Officer, HSVP Bhiwani Zone.

Please find enclosed herewith two copies of Public Notice Advertisement for allotment of residential plots under oustees quota of various sector under jurisdiction of Estate Officer, HSVP Bhiwani Zone. It is requested to publish the public notice in following newspapers on the dates mentioned below:-

Sr. No.	Name of Newspapers	Date of publishing
1	Dainik Jagran (Hindi)	23.01.2025
2	Amar Ujala (Hindi)	23.01.2025
3	The Tribune (English)	23.01.2025

DA/ As above.

M

Estate Officer, HSVP, Bhiwani.

Endst. No.: 21662, 21665, 66

Dated: 21.01.2025

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action.

1. The Chief Administrator, HSVP (Urban Branch), Panchkula.

2. The Administrator, HSVP, Hisar

3. The CITO, HSVP, Panchkula with the request to host this advertisement on HSVP portal.

Estate Officer, HSVP, Bhiwani.

Scanned with CamScanne